उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-9/2017/428/37-1-2017-03(108)/2011

लखनऊः दिनांक 24 अप्रैल, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

डा0 कृष्ण कुमार, तत्कालीन पशु चिकित्साधिकारी, लालगढी, एटा (मजिस्टेट फ़लाइंग स्क्वायड टीम) द्वारा टीम के अन्य सदस्यों के साथ श्री ब्रृजेश कुमार, अनुज्ञापी, नगला जसराम (देशी शराब) की टाटा स्कार्पियो रोककर रू0 40000/- छीनने, रेड/छापामारी पर पूरी वीडियोग्राफी न कराये जाने फलाइंग स्क्वायड मजिस्टेट के रूप में पारदर्शितापूर्ण कार्यवाही न किये जाने एवं अपर जिलाधिकारी, प्रशासन एटा की संयुक्त टीम द्वारा की गयी पूछताछ का कोई संतोषजनक उत्तर न दिये जाने आदि आरोपों के लिए आदेश संख्या- 247/37-1-2012-3(108)/2011, दिनांक 14-02-2012 द्वारा निलम्बित किया गया तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 293/37-1-2012-3(108)/2011, दिनांक 14-02-2012 द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये संयुक्त निदेशक, प्रशासन, पशुपालन विभाग को जाच अधिकारी नामित किया गया। इस सम्बंध में डा0 कृष्ण कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 12311/2012 डा0 कृष्ण कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13-03-2012 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या- 59/37-1-2012-3(108)/2011, दिनांक 07-05-2012 द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 14-02-2012 को स्थगित करते हुये उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को यथावत प्रचलित रहने के आदेश प्रसारित किये गये।

2- डा0 कृष्ण कुमार के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र संख्या- 42/एसटी/सं0नि0(प्रशा0), दिनांक 28-05-2015 द्वारा प्राप्त हुई। जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत डा0 कृष्ण कुमार के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है। अतः डा0 कृष्ण कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, लालगढी, एटा के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा बिना दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे

प्रमुखसचिव

<u>संख्या-9/2017/428(1)/37-1-2017, तददिनांक,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, एटा द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकासा
5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0 त्रिवेदी
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।